चार्जिंग स्टेशनों की लागत भी ईवी सब्सिडी दायरे में शामिल

राहत

13 लाख ई वाहन अब तक यूपी में पंजीकृत

लखनऊ,विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना लागत को ईवी सब्सिडी ढांचे में शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक वाहन समिति की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में किए गए इस संशोधन से चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स की एक प्रमुख समस्या का समाधान होगा। पहले-पात्र निवेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत नहीं थी। इस कारण कई निवेशक न्यूनतम 25 लाख रुपये की निवेश सीमा पूरी नहीं कर पा रहे थे और सब्सिडी से वंचित रह जाते थे। नीति के अंतर्गत राज्य में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने वाले ऑपरेटरों को आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उन्हें एक बार पूंजी अनुदान दिया जाता है। जिसमें भवन निर्माण, सिविल वर्क्स, चार्जर, अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर (मीटर तक और मीटर के पीछे), बैटरी उपकरण, यूटिलिटीज, उपकरण और अन्य संबंधित परिसंपत्तियों (भूमि लागत को छोड़कर) पर हुए निवेश की 20% राशि, अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति इकाई तक सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

फैसले से यूपी अग्रणी ईवी निर्माण राज्यों में शामिल

इस निर्णय से यूपी देश का अग्रणी ईवी विनिर्माण और गतिशीलता केंद्र बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ेगा। वर्तमान में यह नीति सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन इकाइयों को 20% पूंजी सब्सिडी का समर्थन करती है। भारत के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार उत्तर प्रदेश में अब तक 12,72,206 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए, 450 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों को जीआईएस डैशबोर्ड पर जोड़ा जा रहा है। 740 से ज्यादा ईवी बसें प्रमुख मार्गों पर तैनात की गई हैं। 15 शहरों में 116 ग्रीन रूट्स की पहचान की गई है। इन पर अगले चरण में ईवी बसें चलाई जाएंगी।